

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर** के दिशानिर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्गदर्शन व श्री राजप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष गगहा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अख्तर आलम मय हमराहियान उपनिरीक्षक प्रधान यादव, उपनिरीक्षक कुंवर गौरव सिंह, हे0 का0 बैजनाथ यादव, हे0का0 राजेंद्र यादव, का0 अनिल पाण्डेय व का0 राजकुमार के मय सरकारी वाहन UP53 AG 0891 से थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर होकर बड़गो तिराहा हाटा बाजार में मामूर था और संदिग्ध व्यक्तियों तथा वाहनों की चेकिंग कर रहा था कि मुखबिर खास आकर मिला और बताया कि साहब 2 मोटरसाइकिल से कुछ बदमाश श्रीरामपुर चौराहे से राउतपार चौराहे की तरफ आ रहे हैं। वे सभी चोरी/छिनैती करने वाले पेशेवर अपराधी हैं। उनके पास चोरी की मोटरसाइकिल, स्मैक व चोरी का मोबाइल है इस सूचना पर विश्वास कर मैं उपनिरीक्षक हमराही अधिकारी/कर्मचारी गणों को मुखबिर की बातों से अवगत कराते हुए मय उपनिरीक्षकगण मय हमराहियान व मुखबिर खास के प्रस्थान कर बेलादार गांव के आगे गनगरी पुलिया के पास पहुंचकर सरकारी वाहन को आड़ में छुपा कर हम पुलिस वाले पुलिया के आड़ में छिपकर हम पुलिस वालों ने ललकारते हुए दौड़ाकर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया तथा तीन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम अमन गोस्वामी पुत्र रामकरन गोस्वामी निवासी बेलादार थाना गगहा जनपद गोरखपुर दूसरे ने अपना नाम अंकित यादव पुत्र रमेश यादव निवासी जलपहिया थाना गगहा जनपद गोरखपुर बताया। भागने का कारण पूछा गया तो पकड़े गए दोनों व्यक्तियों ने बताया कि साहब हम दोनों के पास नशीला पदार्थ स्मैक व चोरी का मोबाइल व चोरी की मोटरसाइकिल है। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों को उनकी जुर्म धारा 8/20 NDPS Act व 41/411/ 413 IPC से अवगत कराते हुए दिनांक 6/11/2020 को समय करीब 02.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। भागे हुए व्यक्तियों अनुराग यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी महुलाई जलपहिया थाना गगहा जनपद गोरखपुर, अमन गिरि पुत्र राजेश गिरी निवासी कहला थाना गगहा जनपद गोरखपुर तथा बृजेश गोस्वामी पुत्र वीरेंद्र गोस्वामी निवासी बेलादार थाना गगहा जनपद गोरखपुर का भी जुर्म धारा 41/411/413 IPC का दंडनीय अपराध है। 1- अमन गोस्वामी पुत्र रामकरन गोस्वामी निवासी बेलादार थाना गगहा जनपद गोरखपुर 2- अंकित यादव पुत्र रमेश यादव निवासी जलपहिया थाना गगहा जनपद गोरखपुर के विरुद्ध 1-मु0अ0सं0 726/20 धारा 41/411/413 आईपीसी0 2- मु0अ0सं 727/8/20 NDPS ACT 3- मु0अ0सं 727/8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया, जिन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- (1) अमन गोस्वामी पुत्र रामकरन गोस्वामी निवासी बेलादार थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (2) अंकित यादव पुत्र रमेश यादव निवासी जलपहिया थाना गगहा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

47 ग्राम स्मैक व एक अदद मोटर साइकिल व एक अदद मोबाइल

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

बेलादार गांव के आगे गनगरी पुलिया के पास दिनांक 06/11/2020 समय 02.05 बजे

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

(1) अमन गोस्वामी पुत्र रामकरन गोस्वामी निवासी बेलादार थाना गगहा जनपद गोरखपुर

- 1- मु0अ0सं0 726/20 धारा 41/411/413 आईपीसी0
- 2- मु0अ0सं 727/8/20 NDPS ACT
- 3- मु0अ0सं 727/8/20 NDPS ACT

(2) अंकित यादव पुत्र रमेश यादव निवासी जलपहिया थाना गगहा जनपद गोरखपुर

- 1- मु0अ0सं0 357/19 धारा 307आईपीसी0
- 2- मु0अ0सं0 726/20 धारा 41/411/413 आईपीसी0
- 3- मु0अ0सं 727/8/20 NDPS ACT
- 4- मु0अ0सं 727/8/20 NDPS ACT

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण –

- (1) उ0नि0 अख्तर आलम थाना गगहा गोरखपुर
- (2) उ0नि0 प्रधान यादव थाना गगहा गोरखपुर
- (3) उ0नि0 कुँवर गौरव सिंह थाना गगहा गोरखपुर
- (4) हे0का0 बैजनाथ यादव थाना गगहा गोरखपुर
- (5) हे0का0 राजेंद्र यादव थाना गगहा गोरखपुर
- (6) का0 अनिल पाण्डेय थाना गगहा गोरखपुर
- (7) का0 राज कुमार यादव थाना गगहा गोरखपुर